रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2017/पौष 23, 1938
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2017/PAUSA 23, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 29(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 में नियम 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात :-

"4. वेतनमान- 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त निगम के अध्यक्ष का वेतनमान वेतन मेट्रिक्स में स्तर 17 [2,25,000 रुपए प्रतिमाह (नियत)] होगा।

टिप्पण 1 : पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का नियतन केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 के आधार पर किया गया है।

टिप्पण 2 : पुनरीक्षित वेतनमान के कारण, बकाया का संदत्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किया जायेगा।

टिप्पण 3 : सांतवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी भत्तों (महंगाई भत्ते से भिन्न) की पुनरीक्षित दरों पर निर्णय उसके बाद और पृथक से अधिसूचित किया जायेगा और तब तक, ऐसे सभी भत्ते वेतन संरचना पूर्व पुनरीक्षित में अभिभावी निबंधन और शर्तों के अधीन विद्यमान दरों पर संगणना और संदत्त जारी रहेंगे मानो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 के अधीन पुनरीक्षित नही किया गया है।

5. महंगाई भत्ता-(1) निगम के अध्यक्ष को संदेय महंगाई भत्ता निम्नानुसार होगा, अर्थात,—

(क) 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक – कोई महंगाई भत्ता नहीं

(ख) 1 जुलाई, 2016 से आगे तक – केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर घोषणा के अनुसार।"

[फा. सं. एस-11012/06/2008-बीमा.1]

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

स्पष्टीकारक ज्ञापक

केन्द्रीय सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारेशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों का फायदा भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को 1 जनवरी 2016 से प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 124(अ), तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) मैं प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 591(अ) तारीख 14 अगस्त, 2001, सा.का.नि. सं. 629(अ) तारीख 22 सितंबर, 2004, सा.का.नि. सं. 819(अ) तारीख 26 नवंबर, 2008 द्वारा तत्पश्चात संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2017

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India, Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Rules,1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

2. In the Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Rules,1998, for rules 4 and 5, the following rules shall be substituted, namely:—

"4. **Scale of pay**.- With effect from the 1st day of January, 2016 , the scale of pay of the Chairman of the Corporation shall be Level 17 in the Pay matrix [Rs.2,25,000 per month (Fixed)].

Note 1: The fixation of pay in the revised scale has been done on the basis of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

Note 2: The arrears on account of revised scale of pay shall be paid during the Financial Year 2016-2017.

Note 3: The decision on the revised rates and the date effect of all allowances (other than Dearness Allowance) based on the recommendations of Seventh Central Pay Commission shall be notified subsequently and separately and until then, all such allowances shall continue to be reckoned and paid at the existing rates under the terms and conditions prevailing in the pre-revised pay structure as if the existing pay structure has not been revised under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

5. **Dearness Allowance**:- (1) Dearness Allowance payable to the Chairman shall be as follows, namely:—

(a) From 1st January, 2016 to 30th June, 2016 – No Dearness Allowance

(b) From 1st July, 2016 onwards – As declared by the Central Government from time to time.".

[F. No. S-11012/06/2008-Ins.1]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to extend the benefit of revised scales of pay based on the recommendations of Seventh Central Pay Commission to the Chairman, Life Insurance Corporation of India with effect from 1st January, 2016.

It is certified that no Chairman of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.124(E), dated the 5th March, 1998 and subsequently amended *vide* notification numbers:-

1. G.S.R.No. 591(E), dated the 14th August, 2001;
2. G.S.R.No. 629(E), dated the 22nd September, 2004; and
3. G.S.R.No. 819(E), dated the 26th November, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 30(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2017 है।

   (2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे माने जाएंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 में

(i) नियम 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् : -

"4. वेतनमान- (1) 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त प्रबंध निदेशक का वेतनमान, वेतन मेट्रिक्स के 16 वें स्तर का होगा (2,05,400 रू. से 2,24,400 रू.)

(2) प्रबंध निदेशक का वेतन नियतन 1 जनवरी, 2016 से निम्नानुसार किया जाएगा:

विद्यमान वेतनमान के अनुसार वेतन (उच्चतर प्रशा. श्रेणी + वेतनमान)	पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन (वेतन मेट्रिक्स में 16वां स्तर)
75,500/- रुपए	2,05,400/- रुपए
77,765/- रुपए	2,11,600/- रुपए
80,000/- रुपए	2,17,900/- रुपए
80,000/- रुपए	2,24,400/- रुपए

टिप्पण 1 : पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का नियतन केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 के आधार पर किया गया है।

टिप्पण 2 : पुनरीक्षित वेतनमान के कारण, बकाया का संदत्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किया जायेगा।

टिप्पण 3 : सांतवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी भत्तों (महंगाई भत्ते से भिन्न) की पुनरीक्षित दरों पर निर्णय उसके बाद और पृथक से अधिसूचित किया जायेगा और तब तक, ऐसे सभी भत्ते वेतन संरचना पूर्व पुनरीक्षित मैं अभिभावी निबंधन और शर्तों के अधीन विद्यमान दरों पर संगणना और संदत्त जारी रहेंगे मानो केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 के अधीन पुनरीक्षित नही किया गया है।

5. महंगाई भत्ता- (1) निगम के प्रबंध निदेशकों को संदेय महंगाई भत्ता निम्नानुसार होगा, अर्थात,—

(ग) 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक – कोई महंगाई भत्ता नहीं

(घ) 1 जुलाई, 2016 से आगे तक – केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर घोषणा के अनुसार"

(ii) नियम 8 ग के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

"8 घ पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख.- (1) वेतनवृद्धि की वर्तमान दिनांक ,1 जुलाई के स्थान पर वेतनवृद्धि प्रदत्त के लिए प्रत्येक वर्ष दो तारीखें होंगी अर्थात 1 जनवरी व 1 जुलाई:
परंतु एक प्रबंध निदेशक अपनी नियुक्ति तारीख के आधार पर या तो वह 1 जनवरी या 1 जुलाई में से केवल एक ही वेतनवृद्धि का पात्र होगा।

(2) ऐसे प्रबन्ध निदेशक जो 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनो दिन सम्मिलित) के बीच नियुक्त हुए हों, वेतनवृद्धि 1 जनवरी को प्रदान किया जायेगा और ऐसे प्रबन्ध निदेशक की बाबत जिनकी नियुक्ति 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनो दिन सम्मिलित) के बीच हो, वेतनवृद्धि 1 जुलाई को प्रदान की जायेगी।

उदाहरण (क) ऐसे प्रबन्ध निदेशक जो 2 जुलाई 2016 और 1 जनवरी 2017 के दौरान नियुक्त किये गये हो, को प्रथम वेतनवृद्धि 1 जुलाई 2017 को प्रोदभूत होगी, तत्पश्चात यह एक वर्ष के पश्चात वार्षिक आधार पर प्रोदभूत होगी।

(ख) ऐसे प्रबन्ध निदेशक के मामले मेँ, जो 2 जनवरी 2016 और 1 जुलाई 2016 के बीच नियुक्त किये गये हो, और जिन्होंने 1 जुलाई 2016 को कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की हो, को अगली वेतनवृद्धि 1 जनवरी 2017 को प्रोदभूत होगी और तत्पश्चात हर एक वर्ष के पश्चात वार्षिक आधार पर प्रोदभूत होगी:

परंतु 1 जुलाई 2017 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात अगली वेतनवृद्धि 1 जुलाई 2018 को आहरण होगा।

8 ङ: वेतन मेट्रिक्स में वेतनवृद्धि .- वेतनवृद्धि वेतन मेट्रिक्स के सोलहवे स्तर के लम्बवत खानो में विनिर्दिष्ट है।"

[फा. सं. एस-11012/06/2008-बीमा.1]

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

स्पष्टीकारक ज्ञापक

केन्द्रीय सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों का फायदा भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक को 1 जनवरी 2016 से प्रदान करने का निर्णय लिया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ), तारीख 29 जनवरी, 1988 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं.125(अ) तारीख 5 मार्च, 1988, सा.का.नि. सं.156(अ) तारीख 31 मार्च, 1998 शुद्धिपत्र, सा.का.नि. सं.592(अ) तारीख 14 अगस्त, 2001, सा.का.नि. सं. 630(अ) तारीख 22 सितंबर, 2004, सा.का.नि. सं. 820(अ) तारीख 26 नवंबर, 2008 द्वारा तत्पश्चात संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2017

G.S.R. 30(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India, Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

2. In the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988,-

(i) for rules 4 and 5, the following rules shall be substituted, namely:—

"4. **Scale of pay**.—(1) With effect from the 1st day of January, 2016 , the scale of pay of the Managing Director shall be level 16 in the pay matrix (Rs. 2,05,400 to Rs.2,24,400).

(2) The fixation of pay of the Managing Director as on 1st January, 2016 shall be as under:-

Pay as per existing scale - (HAG + scale)	**Pay as per revised scale – (Level 16 in the pay matrix)**
Rs.75,500	Rs.2,05,400
Rs.77,765	Rs. 2,11,600
Rs.80,000	Rs.2,17,900
Rs.80,000	Rs.2,24,400

Note 1: The fixation of pay in the revised scale has been done on the basis of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

Note 2: The arrears on account of revised scale of pay shall be paid during the Financial Year 2016-2017.

Note 3: The decision on the revised rates and the date effect of all allowances (other than Dearness Allowance) based on the recommendations of Seventh Central Pay Commission shall be notified subsequently and separately and until then, all such allowances shall continue to be reckoned and paid at the existing rates under the terms and conditions prevailing in the pre-revised pay structure as if the existing pay structure has not been revised under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.

5. **Dearness Allowance**:- (1) Dearness Allowance payable to the Managing Director shall be as follows, namely,—

(a) From 1-1-2016 to 30-06-2016 – No Dearness Allowance

(b) From 1-7-2016 onwards – As declared by the Central Government from time to time.".

(ii). after rule 8C, the following rule shall be inserted, namely.—

"**8D Date of next increment in revised scale of pay.-** (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that a Managing Director shall be entitled to only one increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment.

(2) The increment in respect of a Managing Director appointed during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of a Managing Director appointed during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration: (a) In case of a Managing Director appointed during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of a Managing Director appointed during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in the case of a Managing Director whose pay in the revised scale of pay has been fixed as on 1st day of January, 2017, the next increment shall accrue on 1st day of July, 2017:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2017 shall accrue on 1st day of July, 2018.

8E Increments in pay matrix.- The increment shall be as specified in the vertical cells of level 16 in the pay matrix".

[F. No. S-11012/06/2008/Ins.I]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to extend the benefit of revised scales of Pay based on the recommendations of Seventh Central Pay Commission to the Managing Director of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st January, 2016.

2. It is certified that no Managing Director of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.65(E), dated the 29th January, 1988 and subsequently amended *vide* notification numbers:-

1. G.S.R. No. 125(E), dated the 5th March, 1998;
2. G.S.R. No. 156(E), dated the 31st March, 1998 Corrigenda;
3. G.S.R. No. 592(E), dated the 14th August, 2001;
4. G.S.R. No. 630(E), dated the 22nd September, 2004;
5. G.S.R. No. 820(E), dated the 26th November, 2008.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.01.13 20:37:19 +05'30'